न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 28 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)

1. शंकरलाल पिता गणेशलाल जी जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बदामी पत्नी गणेशलाल जी जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. देउ पुत्री गणेशलाल जी जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

रोशनलाल पिता पृथ्वीराज जी जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 18.07.2024, प्र.सं. 33/2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री लादुलाल जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 12–12–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जुणदा, तहसील रेलमगरा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृति भूमियां स्थित हैं, जिसके वर्तमान खसरा नंबर 342 रकबा 0.5423 हैक्टर, खसरा नंबर 341 रकबा 1.8696 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3169 / 317 रकबा 0.1619 हैक्टर हैं। उक्त आराजियात के पास विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के खसरा नंबर 344 रकबा 0.0486 हैक्टर वर्गीकरण रास्ता, खसरा नंबर 331 रकबा 0.0162 हैक्टर वर्गीकरण आ.चा., खसरा नंबर 334 रकबा 0.0486 हैक्टर वर्गीकरण रास्ता, खसरा नंबर 335 रकबा 0.5666 वर्गीकरण चाही I स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अपने खाते के खसरा नंबर 342 में विपक्षीगण के खसरा नंबर 344 भूमि वर्गीकरण रास्ता से होते हुए खसरा नंबर 331 के उत्तरी किराने से खसरा नंबर 335 की पूर्वी पाली से होता हुआ खसरा नंबर 342 में प्रवेश करता है। खसरा नंबर 344 व 334 किस्म रास्ता है। प्रार्थी के खसरा नंबर 342 में आने जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता विपक्षीगण के खसरा नंबर 335 के दक्षिणी पाली से प्रविष्ट कर पूर्वी पाली के सहारे 15 फिट चौड़ाई में चला आ रहा है, अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, किन्तु विपक्षीगण बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि विपक्षीगण रास्ते को बन्द कर देंगे तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खाते की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 18–07–2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के खाते की आराजी नंबर 335 में से 0.0243 हैक्टर अर्थात 243 वर्गमीटर भूमि बिलानाम रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 30–09–2024 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दिये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लालुलाल जाट उपस्थित हुए तथा अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब रेस्पोन्डेन्ट ने गांव में आकर यह कहा कि हम जीत गये, अब रास्ते के पैसे जमा करा रहा हूॅ। तब अपीलान्ट दिनांक 24–09–2024 को अपने अधिवक्ता से मिला, तो अधिवक्ता ने उक्त निर्णय की जानकारी दी। जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन कर एवं नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की आराजी नंबर 335 में से 15 फिट रास्ते का जो आदेश दिया है वह कानून के विपरीत है, क्योंकि आराजी नंबर 335 के दक्षिण में आराजी नंबर 331 स्थित है, जो आराजी चाह होने से कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट बनायी गयी है, वह विधि के विपरीत है। रेस्पोन्डेन्ट के बड़े पिता की आराजी नंबर 359 है, जो आराजी नंबर 360 आम रास्ते से सटमा है, जिससे होकर वह अपनी आराजी नंबर 349, 357 जो रेस्पोन्डेन्ट के स्वामित्व की है, उससे होकर आराजी नंबर 351 के उत्तरी दिशा से आराजी नंबर 341 में आराम से आवागमन कर रहा है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण की भूमि से रास्ते की मांग की गयी है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टगण की भूमि में से रास्ते का आदेश पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने लिखित जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की आराजी नंबर 335 में 15 फिट का जो रास्ता दिया गया है, वह कानूनन विधि अनुरूप है, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट की आराजी नंबर 342 में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी नंबर 331 आराजी चाह जरूर है, लेकिन वास्तविक आराजी चाह व आराजी नंबर 343 के मध्य करीब 40 फिट का रास्ता बना हुआ है। आराजी नंबर 334 व 344 की किस्म रास्ता है, जिसके सटमा आराजी नंबर 335 स्थित है से अपीलान्ट की भूमि आराजी नं. 342 में जाने का एक मात्र यही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर जो रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट जो दिनांक 15–12–2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुसार रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की आराजी नंबर 341 व 342 में आने–जाने का राजस्व आराजी नंबर 360 एवं 344 से होते हुए आराजी नंबर 335 की पूर्वी पाली पर दक्षिण से उत्तर की तरफ 15 फिट चौड़े रास्ते से प्रार्थी के खेत में प्रवेश का रास्ता पूर्व में लगभग 4–5 वर्ष पूर्व जारी था तथा उपस्थिति मौतबीरान के अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251–क के तहत यदि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो तो रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करते हुए कीमतन रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–07–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 12–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested